

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

2023 का तैनाती आदेश सं.194

नई दिल्ली, दिनांक 29.12.2023

श्री पूरन सिंह/ सेवानिवृत्त स्टाफ कार ड्राइवर, को बोर्ड कार्यालय के दिनांक 30.07.2019 को जारी ज्ञापन सं.2018/ERB-II/17(3)/1- में निहित शर्तों के आधार पर, दिनांक 31.07.2019 से दिनांक 01.12.2019 तक Re-engage किया गया था, की अवधि को बोर्ड कार्यालय के दिनांक 04.12.2019, 08.12.2020, 22.12.2021 तथा 06.12.2022 को जारी आदेशों के तहत क्रमशः दिनांक 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022 तथा 01.12.2023 तक बढ़ाया गया था। बोर्ड कार्यालय के दिनांक 28.12.2023 के जारी आदेश सं. 2018/ERB-II/17(3)/1/part-Part2 के तहत इनकी Re-engagement की अवधि को दिनांक 15.06.2024 तक बढ़ाया जाता है।

2. बोर्ड कार्यालय के दिनांक 30.07.2019 को जारी ज्ञापन सं.2018/ERB-II/17(3)/1-में निहित अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
3. बहरहाल, श्री पूरन सिंह, कृपया यह नोट करें कि Re-engagement की अवधि बिना किसी नोटिस दिए या बिना कोई कारण बताए रद्द की जा सकती है।
4. इस संबंध में अनुपालन रपट शीघ्र ई आर बी 2-शाखा में भिजवा दी जाए।

सुशील सिंह

(सुशील कुमार सिंह)

उप सचिव (प्रशा.) रेलवे बोर्ड

सं. 2018/ ई आर बी-II/17(3)/1/part-Part2

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. TI कक्ष, रोकड़-2, वेतन व लेखा अधिकारी, वित्त (स्था.)-I, ई आर बी-4, ई आर बी-5, निदेशक (सा. प्रशा.) कक्ष, सामान्य शाखा, रेलवे बोर्ड।
2. संबंधित व्यक्ति।
3. सी एंड आई एस को भारतीय रेल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।